जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, धनबाद।

(जिला निर्वाचन शाखा)

विज्ञापन संख्या–01/2015–16

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निर्वाचन कार्यों के सफलतापूर्वक एवं त्वरित निष्पादन के लिए मुख्य निर्वाच पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची के निदेश के आलोक में निर्धारित आरक्षण रोष्टर के तहत जिला, अनुमंडल, प्रखण्ड एवं अंचल स्त पर एकमुश्त पारिश्रमिक प्रतिमाह 16,480/– रूपये पर कुल 09 (नौ) कम्प्यूटर ऑपरेटर रखा जाना है। इसके लिए अर्हता निम्न प्रकार हैः–

(1) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से– (a) इन्टरमेडिएट
(b) कम्प्यूटर से संबंधित टंकण/तकनीकी ज्ञान

(2) उम्र सीमा– कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–209 दिनांक 25.04.2011 के अनुसार उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष है एवं कोटिवार अधिकतम उ सीमा निम्न प्रकार हैः–

(क) अनारक्षित	–	35 वर्ष
(ख) पिछड़ा वर्ग	–	37 वर्ष
(ग) महिला (अना०/पि०वर्ग/अ०पि०वर्ग)	–	38 वर्ष
(घ) अनु०जा०/अ०ज०जा०	–	40 वर्ष

एवं सभी कोटि के विकलांगों के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट।

अतः इच्छुक व्यक्ति (पुरूष/महिला) जो सभी अर्हता पूरी करते हों वे विहित प्रपत्र में स्व–हस्तलिखित आवेदन व साथ सभी शैक्षणिक योग्यता की स्व–अभिप्रमाणित प्रति दिनांक 01.10.2015 से 10.10.2015 के बीच जिला निर्वाचन शाखा, धनबा के कार्यालय में रखे गये Drop Box में (कार्यालय अवधि में) दे सकते हैं। सभी आवेदनों की संवीक्षा के पश्चात् दिनांक 27.10.201 को 10.00 बजे पूर्वाह्न से समाहरणालय के सभाकक्ष में हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण की परीक्षा ली जायेगी, जिसमें हिन्दी टाईपिं जो Kruti Dev 010 - 35w.p.m. के लिए 20 अंक, अंग्रेजी टाईपिंग–40w.p.m. के लिए 10 अंक, Word में टेबुल बनाने के लिए 0 अंक, Excel के लिए 05 अंक। उक्त टंकण परीक्षा में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी को कुल अंक के 60% तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए 40% अंक लाना आवश्यक होगा। टंकण परीक्षा में उतीर्ण अभ्यर्थी को ही अन्य योग्यता की जांच के लिए बुलाया जायेगा। तकनीकी योग्यता यथा बी०सी०ए० के लिए 5 अंक तथा एम०सी०ए० के लिए 5 अंक निर्धारित है जिसकी गणना 100% अंक के अनुपात में की जायेगी। उसी प्रकार शैक्षणिक योग्यता के लिए 50 अंक निर्धारित किया गया उक्त 50 अंक की गणना मैट्रिक, इन्टरमिडिएट तथा स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को 6 (छः) से विभाजित करने पर जो अंक प्राप्त होगा वही शैक्षणिक मेघा माना जायेगा। भविष्य में यह नियुक्ति नहीं मानी जायेगी तथा इस संदर्भ में किसी प्रकार क दावा मान्य नहीं होगा।

उप निर्वाचन पदाधिकारी, धनबाद।

अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति) धनबाद।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–उपायुक्त, धनबाद।

1. पद का नाम :–
2. आवेदक का नाम :–
3. पिता/अभिभावक का नाम :–
4. जन्म तिथि :–
5. पताः–(क) वर्तमान पता :–
   (ख) स्थायी पता :–
6. जाति :–
7. शैक्षणिक योग्यता (सभी प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति) :–
8. तकनीकी योग्यता :–

फोटो
(स्व–अभिप्रमाणित)

आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

–: घोषणा :–

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा भरा गया आवेदन पुर्णतः सत्य एवं सही है। किसी प्रकार की त्रुटि एवं गलत पाये जाने पर पात्रता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

आवेदक का पूरा हस्ताक्षर